न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–2025/20 जीसीएमएस नं.–2025/154

सरकार जरिये श्री रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री अंकुरसिंह पुत्र सेवासिंह निवासी वार्ड नं.–13 अनूपगढ़(ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE

–:निर्णयः– दिनांकः–11.08.2025

यह इस्तगासा **श्री रामसिंह मीना, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–20.11.2024 को जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ स्थित फर्म/होटल **ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ** पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म **ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ** पर **श्री अंकुरसिंह पुत्र सेवासिंह निवासी वार्ड नं.–13 अनूपगढ** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। श्री अंकुरसिंह की उपस्थिति में फर्म **ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ** की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर खाना बनाने व खिलाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ़ पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर ध्रुव रेस्टोरेन्ट पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एक भट्टी से जुड़ा पाया गया व 01 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखा पाया गया जो कि भट्टी/चुल्हे जुड़ा हुआ नहीं था उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये।

अंकुर सिंह ने घरेलू गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर खाना बनाने व खिलाने के व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। अंकुरसिंह द्वारा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज अंकुरसिंह के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

फर्म ध्रुव रेस्टोरेंट अनूपगढ़ पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर को जरिये फर्द जब्ती किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक विजय कुमार पुत्र कालूराम उम्र 42 वर्ष जाति नाई निवासी गांव 8 ए अनूपगढ़ आधार संख्या–981354088790 मो.नं.–8696262939 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार अलग से किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री अंकुरसिंह पुत्र सेवासिंह निवासी वार्ड नं.–13 अनूपगढ़ (ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ़)** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की जा रही है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है मौके से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश फरमावें। इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कामरा उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर कथन किया कि मद सं.–02 में दर्ज तथा जांच के दौरान अस्वीकार है शेष यह स्वीकार है। प्रार्थी किसी प्रकार की जांच से अवगत नही था। मद सं.–03 एवं 04 अस्वीकार है। प्रार्थी के प्रतिष्ठाान पर उस दिन

अति.जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

लंगर था एवं प्रार्थी के सभी परिजनों के लिए खाना बनाने हेतु प्रार्थी अपने घर से सिलेण्डर लाया था। प्रार्थी ने सिलेण्डर भट्टी व पाईप आदि समान लौटाने के आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री अंकुरसिंह पुत्र सेवासिंह निवासी वार्ड नं.–13 अनूपगढ़(ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ़)** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री अंकुरसिंह पुत्र सेवासिंह निवासी वार्ड नं.–13 अनूपगढ़(ध्रुव रेस्टोरेंट, अनूपगढ़)** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़